

स्मरण-पत्र

राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक: एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/17

जयपुर, दिनांक :

1. समस्त उप निदेशक, मबावि।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,.....मुख्यालय।

विषय:- विभागीय प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने बाबत।

सन्दर्भ:- संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 24.04.2018 के क्रम में

उपयुक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि समस्त प्रभारी अधिकारियों को आवंटित विभिन्न न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर न्यायिक प्रकरणों की सूचनाएँ न्याय विभाग की वेबसाईट पर निर्धारित प्रपत्रों में अपडेट करने हेतु बार-बार लिखने के उपरान्त भी न्यायिक प्रकरणों को आज दिनांक तक अपडेट नहीं किया गया है। उक्त कार्यवाही नहीं करने पर प्रमुख शासन सचिव, महोदया मबावि व राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स एवं उप शासन सचिव, मबावि द्वारा गम्भीरता से लेते हुये तत्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत करने से संबंधित अपेक्षित कार्यवाही यथाशीघ्र करवाकर न्याय विभाग की वेबसाईट लाईट्स पर जवाबदावा प्रस्तुत करने का इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करावे।

उक्त निर्देशों का कठोरता से पालना करें अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी मानते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जावेगा।

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

96772-73 राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/17

जयपुर, दिनांक : 31.5.18

प्रतिलिपि

1. उप शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. एनालिस्ट कम् प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति.निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान जयपुर